Constitution. It is a living document. There is always room for growth; there is always room for adjustment if there is neccssity for deletion also. Therefore, keeping these things in view, the Commission has been appointed, but, unfortunatey, it has been thoroughly mistaken; and my friends have gone to the extent of saying that it is an eye-wash.

**17.29 hrs.**

[SHRI F.H. MOSHIN *in the Chair*]

MR. CHAIRMAN : You can continue next time when this subject will come up for discussion.

**17.30 hrs.**

## HALF-AN-OUR DISCUSSION

### Reperesentation for inclusion of Communities in the list of SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES

MR. CHAIRMAN : Now, Half-an-Hour discussion.

(SHRI TRILOK CHAND :

**श्री त्रिलोक चन्द्र** (खुर्जा) : चेअरमेन सर, आज का जो विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह उन जातियों से सम्बन्धित है जिनकी कि चर्चा अक्सर हाउस में होती रहती है। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार की।

जो सवाल 27 जुलाई, 1983 को श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने उठाया था, उसका जवाब हमें संतोषप्रद नहीं मिला था। इसलिए हमने स्पीकर साहब से इस पर चर्चा करने की मांग की थी और उन्होंने इसका हमें मौका दिया इसके लिए उनका धन्यवाद।

मान्यवर, यह सवाल बहुत दिनों से चर्चित रहा है कि अनुसूचित जातियों की जो स्थिति है वह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न स्थिति है। इस सिलेसिले में एक कमेटी 1977 में बैठाई गयी थी और उसने इस पर विचार किया कि इनकी क्या स्थिति है। कुछ जातियां किसी राज्य में अनुसूचित जाति में हैं और किसी राज्य में वेकवर्ड क्लास में हैं। उस कमेटी ने इन सबके बारे में बड़ी छान-बीन की। उससे यह पता लगा कि जैसे कि एक खटीक जाति है जो कि एक बहुत बड़ी जाति है। देश में इसकी स्थिति यह है कि कर्नाटक में यह बेकवर्ड क्लास में, यू०पी० में अनुसूचित जाति में, तमिलनाडु में बेकवर्ड क्लास में, बिहार में बेकवर्ड क्लास में, असम में बेकवर्ड क्लास में, महाराष्ट्र के कुछ भाग में अनुसूचित जाति में और कुछ में बेकवर्ड क्लास में, उड़ीसा में बेकवर्ड क्लास में, देहली में शेड्युल्ड कास्ट्स में, राजस्थान में शेड्युल्ड कास्ट्स मे रखी गई है। गुजरात में और वेस्ट बंगाल में भी शेड्युल्ड कास्ट्स की सूची में रखी गई है। उसी तरीके से दूसरी जातियां भी हैं जैसे कि राजभर, पासी, गोड, खटीक। इस खटीक की भी उपजातियां हैं जैसे चाक, चिकवा, क्लाल, धांगर राजा, सोंकार, खाट, मेवा फरोश आदि-आदि।

मान्यवर, इन जातियों की स्थिति यह है कि एक राज्य में इनको अनुसूचित जाति का माना गया है तो दूसरे राज्य में बेकवर्ड क्लास का माना गया है। बिल्कुल नजदीक की स्टेट में अगर किसी राज्य से इन जातियों का व्यक्ति जाना चाहे और वहां रहना चाहे तो उसे वे सुविधाएं नहीं मिलती। 1977 में जो कमेटी बैठी थी उसने बताया था कि जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट कर जाते हैं तो उनको उस राज्य में वे सुविधाएं नहीं मिलती और आखिरकार इनकी समस्या का निदान कैसे किया जाए। उस कमेटी की रिपोर्ट है कि इन

कास्टस में जो शेड्युल्ड कास्ट्स एक स्टेट में मानी गई हैं उनको सभी स्टेट्स में एक समान माना जाए ।

मान्यवर, यह समस्या बहुत पुरानी है, नई समस्या नहीं है । हमारे यहां एक जाति राजवर है । इसको कर्नाटक को छोड़कर पूरे देश में बेकवर्ड क्लास में रखा गया है और यह जाति कर्नाटक में अनुसूचित जाति में है । ऐसी अनेक जातियां हैं और बहुत-सी छोटी-छोटी जातियां हैं । अब मान लीजिए कि किसी जाति को राजस्थान में अनुसूचित जाति में रखा गया है और उत्तरप्रदेश में उसको बैकबर्ड क्लास में रखा गया है और उस जाति में एक राज्य की लड़की या लड़के की शादी दूसरे राज्य की लड़की या लड़के से हो जाती है तो उस जाति के लड़के या लड़की को सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है ।

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्टसगंज) : हमारे परिवार बाले उत्तर प्रदेश में शेड्युल्ड कास्ट्स में है और मध्यप्रदेश में शेड्युल्ड ट्राइवस में हैं । हमारी जाति मध्यप्रदेश के एक हिस्से में शेड्युल्ड ट्राइब में है तो दूसरे हिस्से में जनरल लिस्ट में है ।

यह स्थिति है जो कमेटी 1967 में बैठी और रिपोर्ट दी, उसकी सिफारिशों का कोई लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है । एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पर सर्टीफिकेट देने पर उसको मान तो लिया जाएगा, लेकिन एक भाई बैकवर्ड है और एक भाई शेड्यूल कास्ट है यह प्राबलम बनी रह गई । इसको दूर करना चाहिए था । सरकार का बार-बार यही कहना है कि अभी रिकमण्डेशंस नहीं आई हैं । अभी तक सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है । कमेटी बैठी और उस पर इतना पैसा खर्च हुआ तो उसकी सिफारिशों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

सरकार का हमेशा एक ही तरह का जवाब आता है कि स्टेट गवर्नमेंट, केन्द्र शासित प्रदेशों से अभी रिपोर्ट नहीं आई है । इसके अलावा कभी दूसरा जवाब नहीं आता । 1967 में कमेटी बैठी और अभी तक केन्द्र शासित प्रदेशों और स्टेट गवर्नमेंट से जवाब नहीं आता तो इस बात को कब तक टाला जाएगा । गवर्नमेंट की नीयत ही यही है कि जब तक हो सके मामलों को टाला जाए । चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो, पंजाब का मामला हो या आसाम का मामला हो, सबको लिंगरआन किया जा रहा है । पता नहीं इन समस्याओं का निराकरण होगा या नहीं होगा । पता नहीं सायक्लोस्टायल करवाकर जवाब रख दिए हैं जो हर बार भेज दिए जाते हैं । श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने कई पत्र लिखे । 1981 में तीन पत्र लिखे जब श्री जैलसिंह जी होम मिनिस्टर थे । उसके बाद अगस्त 1982 में एक पत्र लिखा जब आज के डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर थे और 1983 में मई, अप्रैल में पत्र लिखे जबकि श्री सेठी जी होम मिनिस्टर हैं ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** (नई दिल्ली): अब जब पत्र लिखेंगे तो कोई और गृह मंत्री होगा ।

**श्री त्रिलोक चन्द्र** : हां, यह बात भी है । इतने पत्र लिखे गए और सबका एक ही जवाब दिया गया कि राज्यों से जवाब नहीं आया है । तीन तरह के जवाब दिए जाते हैं कि स्टेट्स से जवाब नहीं आया है महा पंजीयक का जवाब नहीं आया था केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब नहीं आया । खटीक, धोबी, भर, पासी एक-दूसरे से अलग होते जा रहे हैं ।

इनके रिश्ते-नाते अलग होते जा रहे हैं । सरकार इस पर कब तक कार्यवाही करेगी यह सोचने की बात है ।

इतना ही नहीं, एक और मामला मेरे पास है । मई 1982 में उत्तर प्रदेश में याचिका समिति गठित हुई और उत्तर प्रदेश सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि भर और राजभर जाति अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित की जाए । इसका जवाब आज तक नहीं मिला । कोई जवाब नहीं दिया जाता । कुछ भी करने का इरादा नहीं है । गवर्नमेंट सभी मामलों को ऐसे ही टालती है । क्यों ऐसा होता है ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है ?

खटीक जाति को आप लें । धोबी समुदाय को आप लें । राज्यों में एक जगह तो एस.सी. में है और दूसरे राज्य में बैकवर्ड क्लासिस में है । इतना ही नहीं एक राज्य में ही एक जिले में एक में है और दूसरे में दूसरी में है । इसी तरह से जिले में भी अन्तर किया जाता है । मध्य प्रदेश के भोपाल रायसेन, सिहौर जिलों में तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनावैली के एक ताल्लुके में इनको अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है और बाकी सब जगह बैकवर्ड क्लासिस में शामिल किया गया है । स्टेट के भीतर भी अन्तर किया गया है । एक ही जिले में अगर एस.सी में है तो उसी जिले में कैसे बी.सी. में उसको रखा गया, यह समझ में नहीं आया । आधार यह कहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति वहां अच्छी हो गई है । क्या उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुई है जिनको एस.सी. में रखा है ? शेड्यूल्ड कास्ट मानने का आधार आपने क्या दिया है । यह कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है । उसके अनुसार अनुसूचित जाति वह है—छुआछूत उसके साथ बरती जाती हो, परम्परागत पिछड़ापन हो, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन उनमें हो । इसी तरह से खटीक या धोबी आप लें । क्या एक ही जिले में इनकी आर्थिक स्थिति में इतना अन्तर पड़ गया है, शिक्षा की दृष्टि से ये इतने ऊपर आ गए हैं, इतने योग्य हो गए है, छुआछूत भी मिट गई है कि एक ही राज्य के एक जिले में उनको एस.सी की सूची में रखा गया है और दूसरे जिले में बैकवर्ड क्लासिस में । कमेटी ने इसका अंदाजा लगाया है या किसने लगाया है और कैसे यह सब मालूम पड़ा है । पैमाना क्या है ? इसी तरह से पिछड़ी जातियों के बारे में जो लक्षण आपने दिए हैं उनको आप देखें । सांस्कृतिक, भौगोलिक अलहदगी तथा सामान्य जन समुदाय से अलग तथा पिछड़ापन आदि लक्षण आपने बताए हैं । इसमें भी एक ही जिले में आप इनको ले रहे हैं और उसी स्टेट के दूसरे जिले में नहीं ले रहे हैं । जिलों-जिलों में भी एक ही स्टेट के आपने अन्तर कर दिया है । क्यों ?

इन सब इशूज को लेकर बार-बार कहा गया है और बहुत से प्रतिवेदन तथा पत्र भी लिखे गए हैं, बहुत से ये आए हैं, धोबियों ने भी खटीकों ने भी दिए हैं कि उनको अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए लेकिन अब तक उनको नहीं किया गया है । इसका क्या कारण है ? 1967 से यह चीज चली आ रही है । आज 1983 हो गया है । इतना समय बीत गया है । क्या सरकार का इरादा एक और कमेटी बिठाने का है ताकि वह दो चार साल जांच में लगा दे और फिर इसको किया जाए ।

जो जातियां माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में

चली जाती हैं उनकी बड़ी दुर्गती होती है। जो लोग महाराष्ट्र वगैरह में जाते हैं उनको बड़ी दिकक्त का सामना करना पड़ता है। उनके लड़कों को जो पढ़ते हैं एस.सी का सार्टीफिकेट नहीं दिया जाता है, बनाया नहीं जाता है क्योंकि उस राज्य में वे एस.सी. की सूची में नहीं आते हैं। जिन राज्यों से वे लोग जाते हैं उन राज्यों के सार्टीफिकेट्स को वहां मान्यता नहीं दी जाती है उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश से जहां से वे लोग जाते हैं उनके द्वारा जारी किए गए सार्टीफिकेट्स को माना नहीं जाता है क्योंकि वहां वे एस.सी. की सूची में नहीं आती है। उनके सामने बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, जो सुविधा वे प्राप्त किए होते हैं, उनसे वे वंचित हो जाते हैं। यह विभिन्नता अगर बनी रही तो एस.सी. के लोगों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो कई उप-जातियों में बंटी हैं जैसे : भर-राजभर, भारद्वाज, भारशिव, पासी--पासवान, क्लाल, खटीक--घनगर, रैया, सोनकर, चिकवा चक, क्लाल सूर्यवंशी आदि। अब एक ही उपजाति एक जगह एस.सी हैं और दूसरी जगह बैकवर्ड क्लासिस में है और तीसरी जगह फार्वर्ड में है। आप इस अन्तर को भी दूर करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

मैंने जो तीन चार सवाल उठाए हैं मैं चाहता हूं कि उनका मुझे स्पष्ट उत्तर दिया जाए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : I am really thankful to the Hon. Member, Shri Trilok Chandra, for raising this issue here, which has given me a chance to clarify the position. This Half-an-hour discussion arises out of Starred Question No. 51, dated 27th July 1983. The question was :

"Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether organisations of Rajbhar, Pasi, God and Khatik and Sub-Castes of Khatik such as Chak, Chikwa, Kalal, Dhangar Rajya, Sonkar, Khatik, Khatik, Khat, Mewa Farosh etc. have requested to include them urgently in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes throughout the country in accordance with the recommendations contained in the report of the Joint Committee on SC/ST Order (Amendment) Bill, 1967;

(b) whether a stereo-type reply is given to these, as was given on 12th May, 1983 vide D.O. letter No. SC-12016/17/83 (SC and VCD)/(R. Cell) and also earlier;

(c) if so, the reasons for not making any progress in this matter; and

(d) how long will the Ministry continue to hold discussion with the Registrar General of India and wait for the comments from the States ?"

The answer was specific :

"(a), (b), (c) & (d) :

A statement is placed on the Table of the House."

In the Statement it was mentioned :

"Representations have been received regarding the inclusion of..... (these communities) in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes throghout the country.

The Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes Order (Amendment) Bill, 1967 in their report, a copy of which has already been placed in both the Houses of Parliament, has not recommended for the inclusion of any community either in the list of Scheduled Castes or Scheduled Tribes on an all India basis."

But he said that they have recommended it. They have categorically said "no", though he has mentioned that they have agreed to it.

So far as the Government position is concerned, we are really anxious to see that the Bill comes before the House as early as possible and the House discusses it. But our difficulty is that under the Constitution we are obliged to consult the State Governments in this matter. We have no other way. We have 17 times requested the defaulting States to give their comments. New we are thinking sending our own representatives in the Home Ministry to go to the States and get the comments of the State Governments.

MR. CHAIRMAN : They have not given their comments ?

SHRI NIHAR RANJAN (LASKAR) : Four or five States have not done that. I do not want to name them.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : वह तो हमारे पास में इनके 40 पत्र हैं जब ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे तब से जितने भी गह मंत्री हुए सबके मिलाकर 40 पत्र हैं और हर बार एक ही उत्तर आता है कि हम भारत के महापंजीयक से परामर्श कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी है, केन्द्र ने राज्यों को लिखा है···

MR. CHAIRMAN : There is no point of order at all. How can there be a point of order ?

SHRI NIHAR RANJAN (LASKARr I : was saying that under the Constitution we are obliged to consult the State Governments. In view of the provisions made very clearly in articles 341 and 342 of the Con-stitution, no community can be included on an all India basis even with consultation with the concerned State Governments.

Regarding the second question raised by him, I have already said that this matter was also examined by the Joint Committee on the Scheduled Castes and Tribes (Amendment) Bill 1977, a copy of whose report has aleady been laid on the Table of both the Houses. According to the Report of the Joint Committee, the social condition of a caste varies from State to State and it will not be proper to generalise any caste as Scheduled Caste in the whole country. The reply sent to the Hon. Member was based on this very fact.

The next question was why we were not bringing forward the Bill. The State Governments have to be consulted. As I have said, we have reminded them 17 times to give their comments. Unless they give their comments, we cannot do anything, That is the position.....

(*Interruptions*)

**श्री सूरज भान** (अम्बाला) : आपने स्टेट्स को कब लिखा है ?

MR. CHAIRMAN : I am sorry ; this is a Half an Hour Discussion. The rules do not provide for such a kind of discus-sion at all. You have to take the permis-sion of the speaker for that.

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** सदन को यह गुमराह करेंगे ?

**सभापति महोदय** : जो प्वाइन्ट श्री त्रिलोक चन्द ने रेज किये हैं, वे उनका जवाब दे रहे हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मूल प्रश्न मेरा है ।

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Rules do not provide. You can't ask any question.

(*Interruptions*)

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : So far as the reminder that some member was asking me, about the reminder concerned, first we have written a letter to the defaulting States on 22.1.81, then on 3.3.81, then on 31.3.81, 2.5.81 and 20.6.81. So, consistently we have been endeavouring to get their comments which we are bound to get under the constitutional provision.

Lastly, we have written to them on 13.6.83. Now, I am thinking further to send my own people to the States and get their comments.

MR. CHAIRMAN : How much time do you require to bring this legislation ?

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : I am putting it on your behalf. Please wait.

(*Interruptions*)

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : I am trying to see that the Bill comes before the House, if possible; by the next Parliament Session.

(*Interruptions*)**

MR. CHAIRMAN : Nothing goes on record. Now, Mr. Xavier Arakal. You can put a question. You should not make a speech.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam) : Sir, Articles 341 and 342 are mandatory as consulation is concerned. My question relates to :

(a) We have been consitently demanding to include one community of Kerala, namely, Kudimbi. It is socially, economically and otherwise so backward and we have recommending inside the House as well as as the State Government, I suppose, has recommended. So, I would like to know whether the State Government has recommended. If not, will the Central Government take the initiative to include this community in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

(b) What will happen to the converts of the tribals of the Scheduled Caste ? What is their position as far as this matter is concerned ?

(c) Will the Government take measures to have an all-India recognition ? As my friend just now mentioned, there are so many problems. If it is a State recognition.....

(*Interruptions*)

So, what is the step the Government is taking in the matter ?

(d) Is it not a fact that certain communities which are privileged to be incul ded in this list are obstructing to include the other backward communities in this list ?

This is a simple question which he can answer.

MR. CHAIRMAN : After all the four Hon. Members ask their questions, then you can reply. You can just make a note of them now. That is the procedure. Now, Mr. Satyanarayan Jatiya may put his questions.

**Not recorded.

**श्री सत्य नारायण जटिया** (उज्जैन) : सभापति महोदय, अपना प्रश्न पूछने से पहले इस प्रश्न का जो संदर्भ है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है ।

**सभापति महोदय** : अगर ज्यादा समय न लगे तो ।

**श्री सत्य नारायण जटिया** : सिर्फ 5 मिनट ।

भारत सरकार यथासंभव शीघ्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन के बारे में संसद में एक विधेयक पुनः स्थापित करने की बहुत अधिक इच्छुक है । लेकिन कुछ राज्य-सरकारों । संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे है । संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों । संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करना आवश्यक है । इस मामले में सभी राज्य सरकारों । संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही अंतिम दृष्टिकोण अपनाया जायेगा और भारत के महापंजीयक के साथ परामर्श करके कार्यवाही की जायेगी ।"

इन्होंने यह जवाब दिया है । मेरा बिल्कुल साफ प्रश्न है कि अंडमान निकोबार में भी अनुसूचित जातियां हैं लेकिन वहां जो बाल्मीकि लोग काम करते हैं, उनको मान्यता नहीं है । मध्यप्रदेश में भोपाल और रायसेन में धोबियों को अनुसूचित जाति में मान्यता नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि इन सारी बातों को तय करने के लिये 1967 में एक ज्वायन्ट सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट करने को कहा गया था, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी । माननीय सूरजभान जी की अध्यक्षता में 1977 में फिर ज्वायन्ट सिलेक्ट कमेटी ने काम किया था और दो-तिहाई काम पूरा भी कर लिया था । दोनों कमेटियों के निष्कर्षों के सन्दर्भ में अगर सरकार चाहे तो जल्दी निर्णय कर सकती है । किन्तु मुझे लगता है कि जल्दी निर्णय लेने की सरकार की मंशा नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों को आपने पत्र लिखे हैं, किन राज्यों ने जवाब दिया और किन राज्यों ने जवाब नहीं दिया है, ताकि सदन को पता लग सके कि कौन से राज्य सहयोग नहीं दे रहे हैं । यह जानकारी सभा-पटल पर रखी जाए । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या क्राइटेरिया है । क्या अभी पुराने क्राइटेरिया हैं, अर्थात् सामाजिक असमानता और सामाजिक न्याय से वंचित होना क्या सरकार कोई नये क्राइटेरिया निश्चित करने वाली है ?

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : सभा-पति महोदय, असली इनफार्मेशन तो मेरे पास है । अगर मंत्री महोदय इन बातों का जवाब दे दें तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा ।

कुछ जातियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है । उदाहरण के लिए धोबी जाति उत्तर प्रदेश में शिड्यूल्ड कास्टस में आती है, लेकिन मध्य-प्रदेश में शैड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं रखी जाती है ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, you remind him. Other-wise, he will move the adjournment-motion,

**श्री हरिकेश बहादुर** : उसी तरह से खटीक कम्युनिटी को कहीं शिड्यूल्ड कास्ट्स में रखा

गया है और कहीं बैकवर्ड क्लासिज में रखा गया है और कहीं-कहीं फार्वर्ड क्लासिस में भी रखा गया है ।

MR. CHAIRMAN : What about the Muslim Dhobis ?

**श्री हरिकेश बहादुर :** उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी में एक हलाल खौर जाति है, जो पिछले 20-25 बरसों से प्रयास कर रही है कि उसे शिड्यूल्ड कास्ट्स में लाया जाए । मैंने भी इसके लिए प्रयास किया । लेकिन न तो उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान देती है और न केन्द्रीय सरकार । वे लोग पाखाने की सफाई वगैरह का काम करते हैं, लेकिन उनको शिड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं रखा जा रहा है ।

MR. CHAIRMAN : I am asking about the position in U.P.

**श्री हरिकेश बहादुर :** उत्तर प्रदेश में उन सबको हरिजन कम्युनिटी में रखा गया है, लेकिन कुछ राज्यों में उनको हरिजन नहीं माना जाता है । खटीक जाति में 9 उपजातियां हैं । उनमें से सोनकर कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लासिज और शिड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं हैं, बल्कि आन्ध्र प्रदेश में वे फार्वर्ड क्लासिज में माने गए हैं । परिणाम यह है कि लड़के लड़की की शादी होती है, तो कहा जाता है कि लड़का या लड़की बैकवर्ड क्लासिस या शिड्यूल्ड कास्ट्स से आए हैं और उनकी उपेक्षा होती है, यहां तक कि सामाजिक बहिष्कार की स्थिति पैदा हो जाती है । यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार की नीति होनी चाहिए और एक विशेष जाति को पूरे देश में एक ही ट्राइब मे रखना चाहिए ।

भर जाति में चार उपजातियां हैं : भर, राजभर, भारद्वाज और मारशिव । उनमें से किसी को बैकवर्ड क्लासिज में रखा गया है, किसी को शिड्यूल्ड कास्ट्स में रखा गया है और किसी को कहीं-कहीं फार्वर्ड क्लासिस में माना गया है । इस बारे में समानता लाने के लिए एक जायंट सिलेक्ट कमेटी ने 1967 में अपनी रिपोर्ट दी थी । उस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ? क्या राज्य सरकारों ने इस पर अपनी रिपोर्ट भेज दी है या नहीं ? अगर राज्य सरकारें रिपोर्ट नहीं भेज रही हैं, तो भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? क्या वह उन राज्य सरकारों पर दबाब डालेगी ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर रहने वाले गौन, खरवार, धसिया, घागर, कोल, मुइयां, पनिका और बियार आदि को ट्राइब्ज की लिस्ट में रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास रीकमेंडेशन भेजी है । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उन्हें आज तक ट्राइब नहीं बनाया है । एक ही जाति एक ही राज्य के एक ही जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स में है दूसरे जिले में बैकवर्ड क्लासिस में है और तीसरे जिले में फार्वर्ड क्लासिज में है ।

1976 में पार्लियामेंट के द्वारा एरिया रिस्ट्रीक्टिव बिल पास हुआ था । उसके अनुसार एक जाति पूरे राज्य में एक ही ट्राइब में होनी चाहिये थी । लेकिन क्या वजह है कि आज उस पर कार्यवाही नहीं हुई ? क्या सरकार राज्य सरकारों से कहेगी या अगर राज्य सरकारों के मातहत यह कार्य नहीं है, केन्द्र सरकार के ही मातहत है तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं ऐसा करेगी कि एक जाति तमाम प्रदेशों में एक ही ट्राइब में रहे ? दूसरी बात यह है कि एक जाति को कहीं शेड्यूल्ड कास्ट में रखते हैं और उसी

कम्युनिटी को दूसरी जगह बैकवर्ड क्लास में रखते हैं तो इस सिलसिले में आर्थिक आधार बनाने की आपकी क्या नीति है— यह भी बताने का कष्ट करें ।

**18 hrs.**

**श्री चन्द्रपाल शैलानी** (हाथरस) : माननीय सभापति जी, शास्त्री जी के मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमे कहा कि भारत सरकार शीघ्र ही अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन के बारे में संसद में एक विधेयक लाने के लिए बहुत इच्छुक है । इच्छुक ही हैं, दस, बीस, पचास या सौ साल में लायेगी इसकी कोइ सीमा नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि जब भी सरकार संशोधन करेगी तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करते समय उन सूचियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अन्य जातियों को भी सम्मिलित करेगी अथवा सरकार का विचार इन सूचियों में शामिल कुछ जातियों को बाहर निकालने का भी है ? वह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके संशोधन व्यापक होंगे अतः उनमें कुछ जातियां जोड़ी भी जा सकती हैं और निकाली भी जा सकती हैं ।

माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें यहां पर बतला दी हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता । एक जाति एक सूबे में शैड्यूड कास्ट में है तो दूसरी स्टेट में वही जाति बैकवर्ड क्लासेज में है और कहीं पर वह कुछ भी नहीं है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा सूची है उसमें संशोधन करते समय यह विचार किया जायेगा कि कुछ जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, उनको उसमें सम्मिलित कर लिया जाए या उस सूची में से कुछ जातियों को निकालने का भी सरकार का इरादा होगा ?

दूसरी बात यह है कि अब तक जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में जातियां शामिल की गई हैं उसमें आर्थिक दशा को भी आधार माना गया है क्योंकि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि किसी भी राज्य में किसी भी जाति का आर्थिक स्तर बराबर का है या नहीं यह काउन्ट करेगा । इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि इस वक्त जो लिस्ट है शैड्यूल्ड कास्ट्स की उसमें बाबू जगजीवन राम की बिरादरी भी आती है । आज बाबू जगजीवन राम जी शैड्यूल्ड कास्ट में हैं लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वे घनाढ़य हैं । घनाढ़य होने के बावजूद आज वे किसी मंदिर में घुस नहीं सकते है, मूर्ति छू नहीं सकते हैं क्योंकि मूर्ति अपवित्र हो जायेगी और मंदिर अपवित्र हो जायेगा । इसलिए मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे सामाजिक या आर्थिक क्या आधार है—इसको आप डिफाइन करने की कृपा करे । (**व्यवधान**) मैंने यह कहा है कि अगर पैसा ही आधार है तो बाबू जगजीवन राम जी के पास उसकी कोई कमी नहीं है फिर मंदिर में उनके जाने से मूर्ति कैसे अपवित्र हो जाती है ? (**व्यवधान**)

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जो जातियां उत्तर प्रदेश में शैड्यूल्ड कास्ट में है और पड़ोसी राज्यों मे वह शैड्यूल्ड ट्राइब में हैं उनको वहां भी शैड्यूल्ड ट्राइब में लाने पर विचार करेंगे ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : The Hon. Members were agitated to know the names of the States which are defaulting.

I think, I should give that information if it can help. Partial report, we have got from Jammu & Kashmir, Meghalaya, Bihar

and Wcst Bengal; that means, we have to get some more clarifications and we are waiting for those. The States which have not so far given any comments are Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh and Karnataka. They must be having their own difficulties I must say. Some of the States have President's rule where they do not like to take any risk. In some others they say that they have come to power now and that they need more time This is the excuse they are giving. We are waiting anxiously to get the reports as early as possible. (*Interruptions*) Not many States; just three or four States.

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप कह रहे है कि वहां प्रैजीडेंट्स रूल है ।

(व्यवधान)

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : My friend, Mr. Xavier Arakal...

(*Interruptions*)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आधे या एक घंटे की चर्चा का मतलब गलत रिपोर्ट दी जाएगी (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : He has replied to Mr. Shailani. I do not know every one of you is shouting like this. This is not the way.

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने जवाब नहीं दिलवाया (व्यवधान)

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : Sir, I have replied to all the points.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has replied to all the points. Now we go to the next item. Discussion under Rule 193. Further Discussion on the statement made by the Minister of External Affairs to the House on 2nd August, 1983, regarding his recent visit to Sri Lanka. Mr. Dhandapani was on his legs. Mr. Dhandapani.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUEY SPEAKER : I do not allow anybody except Mr. Dhandapani. Do not record. I am not allowing any body else. He has already replied.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY SPEAKER : We have gone to the next item. Please contact the Minister. Does the Minister want to reply ?...He is replying.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : If they are not interested in getting the reply, why should I reply ? I was about to reply but they were all shouting. (*Interruptions*)

My friend, Mr. Arakal, was telling about one community, Kudumbi. He says that this community should be included. We have a definite procedure for this. It is not that we include any community here and there. We want to get the report from the State Government. The Joint Committee gave their recommendations also. Then the different Members of Parliament and others interested also suggested names. All these, we put together. Then we consult the Registrar General also in the matter because they have the expertise on the subject. All this we do and then we take the decision. If they fulfil the criteria, naturally they will be included.

About conversion, it is very well known, every body knows, that we are giving some facilities to them. But they cannot be treated as in the List. Under the Constitution it is not allowed. There cannot be an all India list. That also I have said. Under the Constitutional provision there cannot be a list which is on all-India basis.

** Not recorded

Mr. Harikesh Bahadur has asked whether the U. P, Government has submitted their recommendations. Yes, they have done it and we are examining all these recommendantions.

AN HON. MEMBER : What about area restriction ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : About area restriction, as you know, by passing an Act here in Parliament, that was removed. But immediately after that, there was a hue and cry from Gujarat; they said because of that, they were suffering. Again we have to go in for this particular Bill. It is a comprehensive one. We are looking into all aspects.

AN HON. MEMBER : What about Madhya Pradesh ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : Except four States, the others have given their comments.

About exclusion, there are certain recommendations also that certain communities should be excluded. But that does not mean that they will be excluded. We will examine all these and then take a decision.

---

18.00 hrs

## DISCUSSION ON STATEMENT OF MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS RE. HIS RECENT VISIT TO SRI LANKA

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we go to the next item. Discussion Under Rule 193, further discussion on the statement made by the Minister of External Affairs in the House on 2nd August, 1983, regarding his recent visit to Sri Lanka. Mr. Dhandapani was on his legs. Mr. Dhandapani.

SHRI ERA. ANBARASU (Chongalpattu) : On a point of order. Yesterday during my speech, I said* But without telling me it has been expunged, I want to know why. (*Interruptions*)

MR DEPUTY SPEAKER : There is no point of order.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) It should not have been expunged. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY SPEAKER : If anything has been done, it shall be under the rules. You can meet the Speaker or myself.

SHRI K. MAYATHEVAR : Are you going to expunge it ?

MR. DEPUTY SPEAKER : That is all right. Please sit down. I have told you. If you have got anything, you can come and see me or the Speaker in the Chamber.

SHRI K. MAYATHEVAR : What he said is hundred per cent correct.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Dhandapani.

SHRI C.T. DHANDAPANI. (Pollachi) : The whole House is agitated over the killings and murders of Tamils in Sri Lanka. Right from the 26th of July, cutting across party lines, all political parties, whichever ideology they profess, condemn the draconian law Sri Lanka government has enacted yester-day.

As far as this issue is concerned, my Party's stand is very clear. We do not want to take any political advantage out of it. Our clearcut position is this. Even though a call attention was tabled, I was the first person to approach the Speaker and requested for a full-scale debate. Of course, Speaker.

---

*Expunged as ordered by the Chair